P.N- 502-
16-12-21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा राज्यसात वाद सं0 –33 / 2020–21 जिला खनन पदाधिकारी,गढ़वा बनाम TIPPER Reg. No.-JH19C-4075 (वाहन मालिक–श्री जयराम सिंह) **आदेश** यह वाद जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा से दिनांक 09.12.2020 को प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर प्रारंभ किया गया। प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19.09.2020 को वाहन संख्या JH19C-4075 में लदे 800 घनफीट बालू को जब्त कर बिशुनपुरा थाना प्रभारी को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका थाना कांड संख्या 56 / 20 है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन में जब्त उक्त दोनों वाहन Tipper Reg. JH19C-4075 के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए जब्त वाहन मालिक को सूचना निर्गत किया गया । बिशुनपुरा थाना कांड संख्या 56 / 2020 में उक्त जब्त वाहन के मालिक श्री जयराम सिंह की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में उनका कहना है कि विपक्षी निर्दोष हैं। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उनका वाहन बालू के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त नहीं था। उनके विरूद्ध Jharkhand Minor Concession Rule, 2017 के तहत किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं किया गया है। अतएव उनके जब्त वाहन के विरूद्ध राज्यसात का यह वाद तर्कसंगत नहीं है एवं MMDR Act 1957 की धारा 21 के तहत Allowed नहीं किया जा	

सकता है। प्रश्नगत वाहन बिशुनपुरा थाना के खुले कैंपस में पड़ा हुआ है। उसके कीमती पार्टस चोरी होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जब्त वाहनों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही लंबी अवधि तक वाहन के उपयोग में नहीं लाये जाने से उसकी उपयोगिता भी समाप्त होने की संभावना है। इससे वाहन मालिक को अपूर्णीय क्षति होगा। विपक्षी का वाहन पूर्व में कभी भी बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के आरोप में जब्त नहीं हुआ है। यह वाद पूर्ण रूप से Conjecture & surmise पर आधारित है। जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनेकों ऐसे वादों में वाहन Release करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया गया है। पुलिस स्टेशन में वाहन को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। वाहन पर निर्गत चालान के अनुरूप ही बालू लदा हुआ था, वाहन Overloaded नहीं था। वाहन पर क्षमता एवं चालान में दर्ज मात्रा से अधिक बालू लोड किये जाने का आरोप बिल्कुल गलत एवं कल्पना से परे है। चूंकि प्रश्नगत वाहन Commercial use का है, अतएव विपक्षी के पक्ष में मुक्त कर दिया जाना ही उचित होगा। विपक्षी न्यायालय के आदेश से सभी Terms & Condition का अनुपालन करने एवं Surety देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कार्यवाही को गलत करार देते हुए वाद को समाप्त करने एवं जब्त वाहन विपक्षी (वाहन मालिक) को सुपूर्द करने के लिए अनुरोध किया है। उनका यह भी कहना है कि दिनांक 16.09.2020 को वाहन पर लदे बालू की मापी किये बिना ही वाहन जब्त कर लिया गया एवं Mining Officials द्वारा वाहन मालिक से अवैध राशि की मांग की गई और जब वाहन मालिक द्वारा राशि देने से इंकार किया गया, तो जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2020 को दो दिनों के पश्चात लिखित प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं दिनांक 24.09.2020 को थाना को सूचित किया गया। इस बात के विडियो क्लिप के अतिरिक्त अन्य कई Documentary साक्ष्य भी वाहन

मालिक के पास सुरक्षित हैं।

जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा की ओर से दाखिल लिखित प्रत्युतर का अवलोकन किया। दाखिल प्रत्युतर में उनका कहना है कि यह एक Admitted fact है कि विपक्षी का वाहन Tipper Reg. JH19C-4075 बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में उपयोग किया गया है, जो कि MMRD Act की धारा 21(6) के तहत आता है। धारा 21(2) के तहत किये गये अपराध संज्ञेय है एवं लिखित आवेदन के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका बिशुनपुरा थाना में थाना कांड संख्या 56/2020 है। विपक्षी द्वारा MMRD Act की धारा 21 का ही नहीं, बल्कि भा0द0वि0 की धारा 378 एवं 379 का भी उल्लंघन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी श्री जयराम सिंह के विरूद्ध MMRD Act का अवमानना के साथ–साथ खनिज सम्पदा की चोरी का भी मामला है। अपने लिखित तथ्य में थाना कांड संख्या 56/2020 के तहत अवैध खनन में लिप्त उक्त जब्त वाहनों का राज्यसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी कानूनन दृष्टिकोण से निर्दोष है। जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा का लिखित तथ्य में यह कहना कि वाहन को अवैध रूप से बालू का परिवहन करने के क्रम में जब्त किया गया है, निराधार एवं सत्यता से परे है। जब्त वाहन द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन या अवैध रूप से बालू का भंडारण नहीं किया गया है। साथ ही किसी के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन नहीं देखा गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस कांड के अभियुक्त श्री जयराम सिंह को झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा उक्त मामले में ABA No. 7274 of 2020 में दिनांक 01.02..2021 को पारित न्यायादेश से जमानत भी मिल गया है। उक्त आदेश की प्रति उनके

द्वारा समर्पित की गई है। विपक्षी की ओर से अपने दावे की पुष्टि में निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया है:-

1. वाहन का रजिस्ट्रशन की छायाप्रति
2. वाहन का बीमा के कागजात
3. बालू के चालान की छायाप्रति
4. मा0 उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची से निर्गत बेल ऑडर

लोक अभियोजक गढ़वा की ओर से लिखित प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी का वाहन जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा घटना की तिथि को घटना स्थल से बालू उत्खनन में संलिप्त स्थिति में पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में राज्यसात की कार्यवाही सर्वथा उचित एवं विधिनुकूल है। तर्क में उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी का वाहन Tipper Reg No. JH19C-4075 में 600 घनफीट बालू का चालान था, जबकि उक्त वाहन द्वारा 800 घनफीट बालू का परिवहन करत हुए पाया गया। लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त जब्त वाहनों को निर्गत चालान से अधिक मात्रा में बालू के परिवहन किये जाने के कारण राज्यसात की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जब्त वाहनों पर निर्गत चालान से अधिक बालू लोड होने की बात का विरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वाहन पर चालान के अनुरूप ही बालू लोड था, बल्कि चालान में अंकित मात्रा से भी कुछ कम था। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा वाहन पर लोड बालू की मापी ठीक तरीके से नहीं लिया गया। इस पर बिशुनपुरा थाना कांड संख्या 56/2020 में जब्त वाहनों पर लोड बालू की अद्यतन मापी प्रतिवेदन संबंधित थाना के पुलिस अवर निरीक्षक, अंचल अधिकारी, बिशुनपुरा एवं कनीय अभियंता, बिशुनपुरा के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त किया गया। मापी में वाहन Tipper Reg No. JH19C-

4075 में 585 घनफीट बालू पाया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा राज्यसात करने संबंधी दिया गया प्रस्ताव, संलग्न प्राथमिकी की प्रति, दाखिल लिखित तथ्य, विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब, अद्यतन मापी प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के साथ–साथ विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता वो लोक अभियोजक एवं जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा को सुनने के पश्चात स्पष्ट होता है कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जब्त वाहनों के संबंध में आवश्यक Precaution नहीं ली गई। उनके द्वारा जब्त वाहनों पर लोड बालू की मापी तत्काल उचित तरीके से नहीं की गई। जब्त वाहनों के राज्यसात का प्रस्ताव विलम्ब से समर्पित किया गया। वाहन के Overload होने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी के द्वारा बालू का चालान दिखाया गया, जिसपर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। साथ ही विपक्षी द्वारा जिला खनन पदाधिकारी पर अवैध राशि की मांग किये जाने का आरोप लगाया गया परन्तु अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा भी कोई ठोस साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया। दिनांक 26.10.2021 को विपक्षी के अधिवक्ता के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी के विरूद्व अवैध राशि वसूली के सम्बंध में लगाये गये आरोप को हटाने का आवेदन दाखिल किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथा Sunder Bhai Ambalal Desai Vrs. State of Gujrat reported as 2003(1) J.C.R.-153 के अनुसार जब्त सामग्री/वाहन को थाना परिसर में 60 (साठ) दिनों से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, जबकि उक्त कांड में जब्त वाहन थाना परिसर में अभी भी पड़ा हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित संपूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि इस वाद से संबंधित बिशुनपुरा थाना कांड संख्या 56/2020 में जब्त वाहन Tipper Reg. JH19C-4075 को राज्यसात की

कार्रवाई से मुक्त करना उचित होगा। उक्त जब्त वाहन से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय गढ़वा में भी चल रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त जब्त वाहन को निम्न शर्तों के साथ राज्यसात से मुक्त किया जाता है :–

1. वाहन मालिक श्री जयराम सिंह 5,00,000/–(पांच लाख) के Indemnity Bond के साथ Two Surety of like amounts (5-5 lakh) जिला नजारत, गढ़वा में दाखिल करेगें। व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा आदेश पारित होने तक उक्त जब्त वाहन को न तो बिक्री करेंगे, न स्वरूप या रंग में परिवर्तन करेंगे और न व्यवहार न्यायालय के आदेश के बगैर अन्यत्र भेजेगें।
2. साथ ही व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन वाहन मालिक सुनिश्चित करेंगे।

उक्त वर्णित आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

14/12/21

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

14/12/21

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 16:29:43 +05:30
Location: 192.168.31.7